मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *216

04.08.2025 को उत्तर के लिए

शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण

***216. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय शहरी अवसंरचना परियोजनाएं वन विपथन संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिपूरक वनरोपण किए बिना पूरी कर ली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो लगाए जाने वाले पौधों की निर्धारित संख्या कितनी है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा उक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को प्राप्त जुर्माने की राशि सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शहरी विकास कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत वनरोपण योजनाओं का रिकार्ड रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण” के संबंध में श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *216 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं सहित वन भूमि के गैर-वानिकी उद्देश्यों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है।

वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रयोग की अनुमति पर्याप्त उपशमन उपायों और प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने की शर्त के साथ दी जाती है, जो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य शर्त है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य विकसित की गई स्थल-विशिष्ट योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए और संबंधित वन भूमि के अपवर्तन के आदेश जारी होने के दो वर्षों के अन्दर शुरू हो जाना चाहिए।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण या शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाले वनीकरण सहित अन्य वनीकरण कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ऐसे वृक्षारोपण का रखरखाव और निगरानी करने की होती है।

(ग) और (घ) प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन की हानि और उनकी पारिस्थितिक सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

सीएएफ अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकरण, सीएएफ अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य काम्पा निधियों के उपयोग हेतु संचालन की वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं। ऐसे वृक्षारोपणों का रिकॉर्ड संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रखा जाता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष संचालन की वार्षिक योजना राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा **अनुबंध** में संलग्न है।

अनुबंध

शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के संबंध में श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *216 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक किया गया प्रतिपूरक वनीकरण

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	36.56	95.47	132.03
2.	आंध्र प्रदेश	500.91	485.11	708.54	311.12	3471.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	1793.93	11608.44	4458.67	2858.42	20719.46
4.	असम	652.578	114.5	0	382.56	1149.64
5.	बिहार	1661.51	0	0	1321.09	3171.67
6.	चंडीगढ़	-	0.79	0.18	-	0.97
7.	छत्तीसगढ	2963.34	1541.69	465.2	467.74	7039.23
8.	दिल्ली	47.54	23.02	72.06	37.34	179.96
9.	गोवा	200	200	299	470	1209
10.	गुजरात	1019.85	3646.72	4584.53	2004.94	14103.32
11.	हरियाणा	1240.06	1870.22	1608.86	शून्य	5012.91
12.	हिमाचल प्रदेश	876	899	885	888	4073
13.	जम्मू एवं कश्मीर	3545	306	1360.71	262.08	6434.79
14.	झारखंड	2734.49	3324.86	3202.83	2789.84	15739.27
15.	कर्नाटक	188.03	522.77	715.01	720.29	2761.26
16.	केरल	11.7	42.84	0	117.26	171.8
17.	लद्दाख	-	-	-	-	21746.82
18.	मध्य प्रदेश	3892.66	3585.66	3457.22	5301.66	4316.74
19.	महाराष्ट्र	633.57	218.351	182.27	544.384	666.94
20.	मणिपुर	666.94	0	0	0	114.56
21.	मेघालय	शून्य	शून्य	114.56	0	2570.24
22.	मिजोरम	1236.5	1303.78	29.96	शून्य	0
23.	ओडिशा	3802.2	3501.45	4632.86	1628.66	16964.78
24.	पंजाब	311.99	644.995	800.38	940.38	4019.72
25.	राजस्थान	2147.85	808.52	444.79	1365.4	7377.15
26.	सिक्किम	106.04	183.98	94.67	53.19	609.52
27.	तमिलनाडु	0	0	82.57	0	84.76
28.	तेलंगाना	4178.16	2490.07	2052.71	551.12	13686.57
29.	त्रिपुरा	182.8	391.86	566.4	669.85	2295.23
30.	उत्तर प्रदेश	1136.58	1091.43	1604.68	1288.6	5877.16
31.	उत्तराखंड	2325.61	2738.62	2448.71	1697.24	11812.89
32.	पश्चिम बंगाल	122.42	282.03	106.17	139.92	748.25
